न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र.) झालावाड़ (राज.)

लिंक पीठासीन न्यायाधीश – **बरकत अली,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आप. जमानत आवेदन पत्र सं. - 91/2026
(सी.आई.एस.नं.-91/2026)

अभिषेक कुमार वर्मा उर्फ साजन पुत्र राजेश कुमार, उम्र 21 वर्ष, निवासी सधईपुरवा, मजरे धमसड़, फतेहपुर, मझगवां शरीफ, पुलिस थाना फतेहपुर, जिला बाराबंकी (उत्तरप्रदेश) **– प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

राजस्थान राज्य ... **– अप्रार्थी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.
प्र.सू.रि. सं.-13/2026, थाना साईबर झालावाड़
अपराध धारा 64(1), 64(2)(एम), 308(2), 351(2) बी.एन.एस.
व धारा 66ई, 67ए आई.टी.एक्ट एवं
धारा 3-2(v) एस.सी./एस.टी.एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री रमेशचन्द मेघवाल, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2- श्री महेश पाटीदार, विशिष्ठ लोक अभियोजक, राज.राज्य की ओर से।

3- परिवादिया/पीड़िता स्वयं उपस्थित।

आदेश **दिनांकः 06.06.2026**

नोटः- प्रकरण महिला अत्याचार से संबंधित होने के कारण परिवादिया के नाम की गोपनीयता बनाये रखने हेतु परिवादिया के नाम के स्थान पर पीड़िता शब्द का प्रयोग किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक कुमार वर्मा की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत् प्रस्तुत किया, जिसकी नकल विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलायी जाकर, केस डायरी तलब की गयी।

2- प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.05.2026 को पीड़िता /परिवादिया उम्र 20 वर्ष, निवासी झालड़ा, थाना लाखेरी, जिला-बूंदी हाल निवासी टगर मोहल्ला भवानीमण्डी थाना भवानीमण्डी द्वारा प्रस्तुतशुदा एक टाईपशुदा परिवाद पत्र श्रीमान् एस.पी.साहब झालावाड़ के कार्यालय में अभियुक्त अभिषेक वर्मा पुत्र राजेश कुमार, निवासी सधई पुरवा मजरे, धमसर, फतेहपुर, मझगांव शरीफ, जिला-झांसी (उत्तर प्रदेश) के खिलाफ पेश किया हुआ पेश किया हुआ, जरिये डाक साईबर थाना झालावाड़ पर इस आशय के तथ्यों का प्राप्त हुआ कि प्रार्थिया भवानीमण्डी अपने भाई

के पास निवास करती है तथा कोटा जेडीबी कॉलेज में बी.ए. फाईनल इयर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। प्रार्थिया 5 माह पूर्व स्नेपचेट सोशल मिडिया के जरिये मुलजिम अभिषेक से जुड़ी तथा चेटिंग के जरिये इनकी बातें हुई। मुलजिम शुरू से प्रार्थिया को गुमराह कर बहला-फुसला कर फंसाने लग गया था। मुलजिम ने प्रार्थिया के बारे में सारी जानकारियां ली। दिनांक 27.04.2026 को प्रार्थिया कोटा अपने कॉलेज गई हुई थी, तभी मुलजिम प्रार्थिया के कॉलेज के बाहर आ गया और प्रार्थिया को बहला-फुसला कर जबरन कमरे पर ले गया और प्रार्थिया के साथ जबरन संबंध बनाये। प्रार्थिया ने मना किया, तो प्रार्थिया को झूंठी शादी का दिलासा दिलाया कि वे शादी कर लेंगे, जल्दी ही घर वालों को बताकर शादी कर लेंगे। नहीं मानी तो बदनाम कर दूंगा, जान से खत्म कर दूंगा। प्रार्थिया यहां भवानीमण्डी अपने भाई के पहुंची, तो मुलजिम प्रार्थिया को फोन पर स्नेपचेट के माध्यम से धमकी देने लग गया और मुलजिम ने प्रार्थिया के नग्न फोटोग्राफ भी प्रार्थिया की मर्जी के बिना खिंच लिये और प्रार्थिया को कहा कि मुझे तीन लाख रूपये दे नहीं तो सारे फोटो सोशल मिडिया पर वायरल कर दूंगा। तेरे सारे परिवार वालों को समाज को दिखाउगा, तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। तुझे मरने पर मजबूर कर दूंगा या तो मेरी बात मान, जहां मै। बुलाउ वहां आ व मैं कहूं वो कर नहीं तो बदनाम कर दूंगा। मुलजिम अपने नं. 6393734914 से पहले प्रार्थिया व प्रार्थिया के भाई को धमकियां देता था व रूपयों की मांग करता। अब मुलजिम ने प्रार्थिया के माता-पिता व भाभी सभी को फोन कर धमका रहा है कि मुझे जल्द से जल्द तुमने रूपये नहीं दिये तो प्रार्थिया के सारे नग्न फोटोग्राफ सोशल मिडिया पर डाल दूंगा, कहीं का नहीं छोडूंगा। मुलजिम रोजाना अलग-अलग नम्बर से सभी घर वालों को फोन कर धमका रहा है कि तुमने जल्द से जल्द मुझे रूपये नहीं दिये तो तुम्हारे पूरे परिवाद की मरने जैसी हालत कर दूंगा, कहीं मूंह दिखाने लायक नहीं छोडूंगा। जब प्रार्थिया व परिवारजन ने कहा कि हम गरीब व्यक्ति हैं, तीन लाख रूपये हमारे लिये बहुत बड़ी रकम है, हम कहा से लायेंगे तो मुलजिम प्रार्थिया को जबरन झूंठी शादी करने को दबाव बनाने लग गया कि तू मुझसे शादी कर ले, मैं जो कहूंगा, वह तु करती रहना। मुलजिम का एक दोस्त आदर्श भी उसका साथ दे रहा है, वह भी मुलजिम के साथ मिलकर प्रार्थिया व घर वालों को धमका रहा है कि तुम मुलजिम की बात मान लो, वरना तुम्हें जीने लायक नहीं छोडेंगे। पुलिस में हमारे कई मित्र है, तुम्हारे पूरे परिवार को अन्दर करवा देंगे। मुलजिम प्रार्थिया के अलावा सभी परिवारजन को रोजाना फोन कर धमका रहा है। अगर उसके नम्बर से फोन नहीं उठाते हैं तो मुलजिम रोजाना अलग-अलग नम्बर से धमकियां दे रहा है कि मुझे तो रूपये चाहिये, कहीं से भी लाकर दो, नहीं तो मुझसे शादी कर। उसके बाद सरकार से इन्टरकास्ट मैरिज के रूपये

मिल जायेंगे। फिर तुझे छोड़ दूंगा। अगर तुने मेरी बात नहीं मानी, तो तेरे सारे नंगे फोटो वायरल कर दूंगा। जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग व स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी प्रार्थिया ने की हुई है। मुलजिम ने प्रार्थिया व प्रार्थिया के परिवारजन का जीना हराम कर दिया है। प्रार्थिया मुलजिम के डर से अपने कॉलेज भी नहीं जा पा रही है। मुलजिम ने प्रार्थिया के साथ जबरन डरा धमका कर संबंध भी बनाये है। मुलजिम ने प्रार्थिया की जिंदगी शराब कर दी है। प्रार्थिया व पूरा परिवार मुलजिम की धमकियों की वजह से डरा हुआ है। प्रार्थिया घर से बाहर निकलने से भी डरती है, इत्यादि। उक्त आशय के तथ्यों के टाईपशुरा परिवाद पत्र के आधार पर साईबर थाना झालावाड़ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-13/2026, अन्तर्गत धारा 64(1), 308(2), 351(2) बी.एन.एस. व धारा 66ई, 67ए आई.टी.एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 64(1), 64(2)(एम), 308(2), 351(2) बी.एन.एस. व धारा 66ई, 67ए आई.टी.एक्ट एवं धारा 3-2(v) एस.सी./एस.टी.एक्ट प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 12.05.2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से बाद पी.सी. रिमाण्ड दिनांक 15.05.2026 को न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

3- बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गयी।

4- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त गरीब परिवार का व्यक्ति है, जिसके अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण उसके परिवार के समक्ष भरण-पोषण की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। प्रार्थी/अभियुक्त नवयुवक है, उसका उक्त जुर्म से कोई संबंध नहीं है, ना ही वह पूर्व में किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 3 होने के कारण व सरकारी लाभ लेने के लिये प्रकरण में फंसाया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादिया से किसी प्रकार से कोई गाली-गलौच व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त थाना फतेहपुर, जिला बाराबंकी उत्तरप्रदेश का स्थायी निवासी है, जिसके कहीं पर भागने और फरार होने का कोई अन्देशा नहीं है, ना ही वह शातिर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो कि अन्य गवाहों को डरा व धमका सके। प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण में भी समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

5- इसके विपरीत विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का घोर विरोध करते हुये, अपराध की गम्भीरता को देखते हुए, जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही पीड़िता/परिवादिया ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसके साथ उक्त अपराध कारित किया जाना बताते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7- पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हालांकि प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड निल में होना बताया गया है, परन्तु प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रार्थिया/परिवादिया के साथ सोशल मिडिया के जरिये स्नेपचेट पर चैटिंग कर दोस्ती करने तथा उसके साथ शादी करने बहाने से बहला-फुसला कर उसकी इच्छा व सहमति के बिना उसके साथ जबरन लैंगिक संभोग कर बलात्संग किये जाने तथा परिवादिया/प्रार्थिया के साथ एक से अधिक बार जबरन लैंगिक संभोग कर बलात्संग किये जाने तथा परिवादिया/प्रार्थिया के नग्न फोटोग्राफ उसकी इच्छा व सहमति के बिना खिंचकर उसे सोशल मिडिया पर वायरल करने की धमकी दिये जाने तथा परिवादिया/प्रार्थिया व उसके परिवारजन से उक्त नग्न फोटोग्राफ वायरल नहीं करने हेतु उनसे 3,00,000/-रूपये की अवैध मांग कर उद्यापित कारित किये जाने तथा परिवादिया/प्रार्थिया के नग्न फोटोग्राफ उसकी सहमति के बिना इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक रूप से प्रकाशित व प्रसारित किये जाने तथा परिवादिया/प्रार्थिया के जाति से बैरवा होकर अनुसूचित जाति की सदस्या होना जानते हुए उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ लैंगिक संभोग कर आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध कारित किये जाने संबंधी धारा 64(1), 64(2)(एम), 308(2), 351(2) बी.एन.एस. व धारा 66ई, 67ए आई.टी.एक्ट एवं धारा 3-2(v) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अपराध के आरोप है। परिवादिया/पीड़िता के पुलिस बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. एवं न्यायालय में हुए धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान भी केस डायरी पर उपलब्ध है, जिसमें भी परिवादिया/पीड़िता ने उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि की है। वर्तमान समय में इस प्रकार के साईबर अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए, समाज में भय का वातावरण बना हुआ है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना मामले के समस्त तथ्यों प्रकृति व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

8- अतः प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक कुमार वर्मा उर्फ साजन पुत्र राजेश कुमार, उम्र 21 वर्ष, निवासी सधईपुरवा, मजरे धमसड़, फतेहपुर, मझगवां शरीफ, पुलिस थाना फतेहपुर, जिला बाराबंकी (उत्तरप्रदेश) की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., **साईबर थाना झालावाड़ की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.-13/2026** में एतद्द्वारा **अस्वीकार** कर खारिज किया जाता है।

(बरकत अली)
(लिंक न्यायाधीश)
विशिष्ट न्यायाधीश
अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.प्र.)
झालावाड़ (राज.)

9- आदेश आज दिनांक **06.06.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया।

(बरकत अली)
(लिंक न्यायाधीश)
विशिष्ट न्यायाधीश
अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.प्र.)
झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(कमलेश टेलर)
स्टेनो ग्रेड़-प्रथम

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।